न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 73/2021 बउनवानी प्रेमचन्द गुर्जर बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी
पुत्र श्री शिवलाल गुर्जर निवासी ग्राम टोटोलाई पोस्ट बूचोलाई तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/191

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.9.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 09.7.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 1. ग्राम टोटोलाई मे बटा/मिन ख0न0 263/13, 263/15, 246/2, 246/4, 336/8, 222/2, 223/2, 223/5 उक्त सभी बटा/मिन ख0न0 की नकल नक्शा शीट (कपडा लठ्ठा) की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवायी जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सू.अ./2021/100 दिनांक 17.9.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 9.7.2021 में चाही गयी सूचना तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक 86 दिनांक 13.8.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। " कि समय—समय पर आवंटन/विक्रय इत्यादि से खसरा नम्बर के टुकडे होने पर नक्शा शीट मयअद्यतन करने का प्रावधान है उक्तानुसार परिवर्तन होने पर नक्शा शीट में अमल के पश्चात पूर्व स्थिति व खसरा संख्या परिवर्तन हो जाता है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा शीट मे नही होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही है।" इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 9.7.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना " ग्राम टोटोलाई मे बटा/मिन ख0न0 263/13, 263/15, 246/2, 246/4, 336/8, 222/2, 223/2, 223/5 उक्त सभी बटा/मिन ख0न0 की नकल नक्शा शीट (कपडा लठ्ठा) की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गयी है किन्तु चाही गयी सूचना पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा शीट मे नही होने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवाया जाना तहसीलदार द्वारा अपने जवाब मे अंकित किया है। उक्त संबंध में तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत जवाब उचित नही है क्योकि किसी भी खसरा नम्बर में कोई भी मिन/बटा का परिवर्तन किया जावेगा तो सर्वप्रथम पटवारी के नक्शा शीट पर ही किया जावेगा तथा पटवारी की नक्शा शीट के आधार पर कार्यालय की मोमया [illegible] पर परिवर्तन किया जाता है। इसलिए तहसीलदार गंगापुर सिटी [illegible] है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना 15 दिवस मे अपीलान्ट [illegible] जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:44:51 IST
Reason: SelfAttested